संख्या- 108/2015 /2329 ई-1/तेरह-2015-499(8)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक :: 30 दिसम्बर, 2015**

विषय :- आबकारी विभाग के तकनीकी सहायक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ए 31043/चार-128/203/अधि0, दिनांक 23 जनवरी, 2013 तथा पत्र संख्या-ए 22417/चार-128/203/अधि0, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग के तकनीकी सहायक संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-62/2015/वे0आ0-2-960/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आबकारी विभाग में तकनीकी सहायक/ज्येष्ठ तकनीकी सहायक का वेतन इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्नानुसार उच्चीकृत/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आबकारी विभाग के तकनीकी सहायक (प्राविधिक सहायक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- को वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में उच्चीकृत किया जाता है।

(2) तकनीकी सहायक (प्राविधिक सहायक) की पदोन्नति हेतु उपलब्ध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- को वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- में उच्चीकृत किया जाता है।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-1095/दस-15 दिनांक 29-12-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://bhasanamSahib.nic.in

संख्या- 108/2015/2329 (1) ई-1/तेरह-2015-499(8)/2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5. वित्त (व्यय-आयोग) अनुभाग-1/2
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।**

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।